(5)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– अपील सख्या 81/16.

ता0रजु 20.11.2016.

उनवान

वेदरिया पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली।

– अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मण्डरायल, तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

– रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.07.2016 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल मुकदमा नं0 10/2016 धारा 91 एल. आर. एक्ट के विरूद्व तहत धारा 75 एल. आर. एक्ट।

निर्णय

दिनांक 19.09.2017.

वकील अपीलान्ट ने यह अपील, तहसीलदार मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल ने जैर आदेश दिनांक 22.07.2016 पारित किया है जो विधिविरूद्व है। मनमाना है। आरवेट्रेटरी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट पर न्यायालय द्वारा कोई प्रोपर तरीके से तामील नहीं कराया गया है। अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। निष्पक्ष गवाह भी नहीं लिया गया है। केवल मात्र पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट को आधार मानकर व बयानों के आधार को विश्वसनीय मानकर आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का औंड द्वारा आराजी खसरा नं. 280 रकबा 20/15 गैरमुमकिन डंगरिया भूमि बांके गांव दरगवां तहसील मण्डरायल पर अतिक्रमण बताया गया है जबकि उक्त विवादित भूमि मौके पर खाली पड़ी है जिस पर मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है ना ही निर्माण है। बिना मौके देखे ही हल्का पटवारी ने झूंठी रिपोर्ट तहसीलदार मण्डरायल के समक्ष पेश है जो विश्वास योग्य नहीं है। अदालत मातहत ने विधि के सिद्धांतों का विनिश्चय नहीं किया ना ही माइण्ड एप्लाई किया है। एकतरफा ही कार्यवाही करते हुए सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है जो निराधार है। तहसीलदार मण्डरायल का निर्णय जैर अपील दिनांक 22.07.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त नकल एवं निर्णय की जानकारी प्रार्थी अपीलाण्ट को पुलिस थाना मण्डरायल द्वारा सम्मन दिये जाने पर इस निर्णय की जानकारी दिनांक 17.10.2016 को होने पर उसी दिवस को नकल आवेदन करने पर नकल प्राप्त हुई। जानकारी व नकल प्राप्ति से अपील जिसके साथ धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत कर दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 17.10.2016 के मध्य की अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.07.2016 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को ही दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी खसरा नं. 280 रकबा 20/15 किस्म गैर

(6)

मुमकिन डंगरिया बाके ग्राम दरगवां तहसील मण्डरायल पर कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है और ना ही कोई निर्माण है। मौके पर जमीन खाली है। पटवारी हल्का ने झूंठी रिपोर्ट पेश की है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई, साक्ष्य व जबावदेही का उचित अवसर नहीं दिया है। और ना ही अपीलाण्ट को कोई सम्मन नोटिस दिया है। इस संबंध में वकील अपीलाण्ट द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर पत्थर(खण्डे) डालकर किये गये अतिक्रमण को हटा लिया है और मौके पर जमीन खाली है। अब किसी प्रकार का कब्जा व अतिक्रमण नहीं है एवं भविष्य में कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं करूंगा। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.07.2016 अपास्त करने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दरगवां के खसरा नंबर 280 रकबा 20/15 किस्म गैर मुमकिन डंगरिया बाके ग्राम दरगवां तहसील मण्डरायल पर पत्थर(खण्डा) डालकर कब्जा/अतिक्रमण कर रखा है। अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस व तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी खसरा नं. 280 रकबा 20 फुट X 15 फुट किस्म गैर मुमकिन डूंगरी पर अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का दरगवां तहसील मण्डरायल ने अतिक्रमण की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसी रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयान को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास एवं 5 रुपये शास्ति आरोपित कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 22.07.2016 को पारित किया गया है। अपीलान्ट के तर्क न्याय संगत हैं कि उसे सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया है। सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। न्यायहित में सजा का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् तामील नहीं कराकर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किया जाना और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार मण्डरायल को रिमाण्ड की जाती है कि यदि अपीलाण्ट ने वास्तव में मौके से अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत् लिखित में शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि वह भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा तो सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 22.07.2016 अपास्त रहेगा अन्यथा तहसीलदार मण्डरायल का अपीलाधीन उक्त आदेश यथावत् रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली